रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 28, 2019/पौष 7, 1941
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 28, 2019/PAUSHA 7, 1941

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2019

का.नि.आ. 17(अ).—केंद्रीय सरकार, सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 191 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना नियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सेना नियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"15ख. अधिनियम की धारा 19 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम 14, नियम 15 और नियम 15क में अंतर्विष्ट कोई बात चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के पद को लागू नहीं होगी ।"

3. उक्त नियमों के नियम 16क में,—

(i) उपनियम (4) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु केंद्रीय सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना उचित समझती है, तो उपनियम (5) के खंड (क) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट चीफ आफ डिफेंस स्टाफ की सेवा का पैंसठ वर्ष की अधिकतम आयु के अधीन रहते हुए, ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो वह उचित समझे, विस्तार कर सकेगी ।";

(ii) उपनियम (5) के खंड (क) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण—**इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "जनरल" पद में, यथास्थिति, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ या थलसेनाध्यक्ष सम्मिलित है।";

(iii) उपनियम (6) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) थलसेनाध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तक होगा ;"।

[फा. सं. F.14(3)/98/D(AG)]

एम. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 484, तारीख 27 नवम्बर, 1954 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन का.नि.आ. 2(अ), तारीख 20 फरवरी, 2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2019

S.R.O. 17(E).—In exercise of the powers conferred by section 191 of the Army Act, 1950 (46 of 1950), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Army Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Army (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. After rule 15A of the Army Rules, 1954 (hereinafter referred to as the said rules), the following rule shall be inserted, namely:—

"15B. Certain rules not to apply.—Without prejudice to the provisions contained in section 19 of the Act, nothing contained in rules 14, 15 and 15A shall apply to the office of the Chief of Defence Staff."

3. In rule 16 A of the said rules,—

(i) in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the Central Government may, if considered necessary, in public interest, so to do, give extension of service to the Chief of Defence Staff, referred to in the Explanation to clause (a) of sub-rule (5), for such period or periods as it may deem necessary subject to maximum age of 65 years.";

(ii) in sub-rule (5), in clause (a), the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation. - For the purposes of this clause, the expression "General" includes the Chief of Defence Staff or the Chief of the Army Staff, as the case may be.";

(iii) in sub-rule (6), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) the tenure of the Chief of the Army Staff shall be three years or upto the age of retirement, whichever is earlier;".

[F. No. F.14(3)/98/D(AG)]

M. SUBBARAYAN, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* S.R.O. 484, dated the 27^{th} November, 1954 and were last amended in 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2019

का.नि.आ. 18(अ).—केंद्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) विनियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन विनियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) विनियम, 1965 में, विनियम 218 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"218क. कतिपय विनियमों का लागू न होना—अधिनियम की धारा 15 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विनियम 216, विनियम 217 और विनियम 218 में अंतर्विष्ट कोई बात चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के पद को लागू नहीं होगी ।"।

[फा. सं. F.14(3)/98/D(AG)]

एम. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2019

S.R.O. 18(E).—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Regulations, 1965, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Regulations, 1965, after regulation 218, the following regulation shall be inserted, namely :—

"218A. Certain regulations not to apply.—Without prejudice to the provisions contained in section 15 of the Act, nothing contained in regulations 216, 217 and 218 shall apply to the office of the Chief of Defence Staff.".

[F. No. F.14(3)/98/D(AG)]

M. SUBBARAYAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2019

का.नि.आ. 19(अ).—केंद्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना सेरिमोनियल, सेवा शर्त और प्रकीर्ण विनियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना सेरिमोनियल, सेवा शर्त और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नौसेना सेरिमोनियल, सेवा शर्त और प्रकीर्ण विनियम, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 179 में,—

(i) उपविनियम (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण—**इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "एडमिरल" पद में, यथास्थिति, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ या नौसेनाध्यक्ष सम्मिलित है ;

(ii) उपविनियम (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित उपविनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) कोई आफिसर, जिसने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है या अपना कार्यकाल पूरा हो जाने पर सेवानिवृत्ति के लिए नियत हो गया है, को सेवा में ऐसी और अवधि के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, प्रतिधारित किया जा सकेगा, यदि सेवा की आकस्मिकताएं ऐसी अपेक्षा करे :

परंतु केंद्रीय सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना उचित समझती है, तो उपविनियम (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट चीफ आफ डिफेंस स्टाफ की सेवा का पैंसठ वर्ष की अधिकतम आयु के अधीन रहते हुए, ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो वह उचित समझे, विस्तार कर सकेगी ।"।

[फा. सं. F.14(3)/98/D(AG)]

एम. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2019

S.R.O. 19(E).—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1963, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 179 of the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1963 (hereinafter referred to as the principal regulations),—

(i) in sub-regulation (1), the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation.-For the purposes of this sub-regulation, the expression "Admiral" includes the Chief of Defence Staff or the Chief of the Naval Staff, as the case may be;

(ii) after sub-regulation (2), the following sub-regulation, shall be inserted, namely :—

"(3) An officer who has attained the age of retirement or has become due for such retirement on completion of his tenure, may be retained in the service for a further period as may be determined by the Central Government, if the exigencies of the service so require:

Provided that the Central Government may, if considered necessary, in public interest, so to do, give extension of service to the Chief of Defence Staff, referred to in the Explanation to sub-regulation (1), for such period as it may deem necessary subject to maximum age of 65 years.".

[F. No. F.14(3)/98/D(AG)]

M. SUBBARAYAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2019

का.नि.आ. 20(अ).—केंद्रीय सरकार, वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 189 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुसेना नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुसेना (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुसेना नियम, 1969 के नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"17क. कतिपय विनियमों का लागू न होना—अधिनियम की धारा 18 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम 16 और नियम 17 में अंतर्विष्ट कोई बात चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के पद को लागू नहीं होगी ।"।

[फा. सं. F.14(3)/98/D(AG)]

एम. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2019

S.R.O. 20(E).—In exercise of the powers conferred by section 189 of the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Air Force Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Air Force (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Air Force Rules, 1969, after rule 17, the following rule shall be inserted, namely :—

"17A. Certain rules not to apply.—Without prejudice to the provisions contained in section 18 of the Act, nothing contained in rules 16 and 17 shall apply to the office of the Chief of Defence Staff.".

[F. No. F.14(3)/98/D(AG)]

M. SUBBARAYAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2019

का.नि.आ. 21(अ).—केंद्रीय सरकार, वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 190 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुसेना विनियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम वायुसेना (संशोधन) विनियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुसेना विनियम, 1964 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 213 में,—

(i) "एयर चीफ मार्शल के रैंक में नियुक्ति" शब्दों के स्थान पर, "एयर चीफ मार्शल के रैंक में चीफ आफ एयर स्टाफ" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण—**इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "एयर चीफ मार्शल" पद में, यथास्थिति, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ या वायुसेनाध्यक्ष सम्मिलित है ।

3. उक्त विनियमों में, विनियम 213 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"213क. सेवा विस्तार—कोई आफिसर, जिसने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है या अपना कार्यकाल पूरा हो जाने पर सेवानिवृत्ति के लिए नियत हो गया है, को सेवा में ऐसी और अवधि के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, प्रतिधारित किया जा सकेगा, यदि सेवा की आकस्मिकताएं ऐसी अपेक्षा करे :

परंतु केंद्रीय सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना उचित समझती है, तो विनियम 213 के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट चीफ आफ डिफेंस स्टाफ की सेवा का पैंसठ वर्ष की अधिकतम आयु के अधीन रहते हुए, ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो वह उचित समझे, विस्तार कर सकेगी ।"।

[फा. सं. F.14(3)/98/D(AG)]

एम. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2019

S.R.O. 21(E).—In exercise of the powers conferred by section 190 of the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Air Force Regulations, 1964, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Air Force (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Air Force Regulations, 1964, (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 213,—

(i) for the words "appointment in the ranks of Air Chief Marshal", the words "Chief of the Air Staff in the rank of Air Chief Marshal", shall be substituted;

(ii) the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.— For the purposes of this regulation, the expression "Air Chief Marshal", includes the Chief of Defence Staff or the Chief of Air Staff, as the case may be.

3. In the said regulations, after regulation 213, the following regulation, shall be inserted, namely :—

"213A. Extension of service.—An officer who has attained the age of retirement or has become due for such retirement on completion of his tenure, may be retained in the service for such further period as may be determined by the Central Government, if the exigencies of the service so require:

Provided that the Central Government may, if considered necessary, in public interest, so to do, give extension of service to the Chief of Defence Staff, referred to in the Explanation to regulation 213, for such period or periods as it may deem necessary subject to maximum age of 65 years.".

[F. No. F.14(3)/98/D(AG)]

M. SUBBARAYAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.28 20:01:43 +05'30'